कार्यालय जिला पंचायत, जशपुर (छत्तीसगढ़)

//विज्ञापन//

क्रमांक/ 1012 /जि.पं./शिक्षा स्था./2016 जशपुर दिनांक 28/7/2016

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमाक़/172/ अमुस/ पग्राविवि/2016 नया रायपुर दिनांक 17.05.2016 द्वारा सीधी भर्ती हेतु प्राप्त रिक्त पद एवं परिपत्र क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2016/244 नया रायपुर दिनांक 10.06.2016 द्वारा प्राप्त निर्देश तथा छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर का पत्र क्रमांक/पंचा. –192/पंग्राविवि/2012/1167 रायपुर दिनांक 21.08.2012 एवं छ.ग. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 की अधिसूचना क्रमांक/पं./पग्राविव/22/2012/1162 रायपुर, दिनांक 17.08.2012 एवं छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा. –142/पंग्राविवि/22/2012/1583 रायपुर दिनांक 21.11.2012 तथा छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक/20/पंचा/22/पंगाविवि/2014 रायपुर, दिनांक 20.01.2014 के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अभ्यार्थियों को शिक्षक (पं.) संवर्ग की भर्ती में छूट तथा समय–समय पर प्रकाशित संबंधित नियमों में निहित निर्देशानुसार शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में जिला पंचायत के नियंत्रणाधीन ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में व्याख्याता (पंचायत) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जिला पंचायत जशपुर में इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनाँक 12/8/16 सायं 5 बजे तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किया जाता है।

आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही जिला पंचायत में जमा किया जा सकेगा। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

व्याख्याता (पंचायत)

क्र.	विषय का नाम	(अ) कुल पद श्रेणीवार					(ब) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या 30%					(स) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग वर्ग के लिये आरक्षित पदों की संख्या 6%					(द) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों की संख्या 10%					(उ) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिये आरक्षित पदों की संख्या 20%		(इ) कॉलम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिये आरक्षित पदों की संख्या				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		UR	SC	ST	OBC	Total	UR	SC	ST	OBC	Total	UR	SC	ST	OBC	Total	UR	SC	ST	OBC	Total	PTG	Total	UR	SC	ST	OBC	Total
1	अंग्रेजी	16	5	48	11	80	5	2	14	3	24	1	0	3	1	5	2	1	5	1	9	10	10	8	2	16	6	32
2	गणित	14	5	63	10	92	4	2	19	3	28	1	0	5	1	7	1	1	6	1	9	12	12	8	2	21	5	36
3	भौतिक शास्त्र	9	2	38	7	56	3	1	11	2	17	1	0	2	0	3	1	0	4	1	6	8	8	4	1	13	4	22
4	रसायन	9	2	30	7	48	3	1	9	2	15	1	0	2	0	3	1	0	3	1	5	6	6	4	1	10	4	19
5	जीव विज्ञान	13	3	41	11	68	4	1	12	3	20	1	0	3	1	5	1	0	4	1	6	8	8	7	2	14	6	29
6	वाणिज्य	4	2	11	2	19	1	1	3	1	6	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1	2	2	3	1	3	1	8
	योग :–	65	19	231	48	363	20	8	68	14	110	5	0	17	3	25	6	2	23	5	36	46	46	34	9	77	26	146

टीप :–1. UR= अनारक्षित, SC=अनुसूचित जाति, ST=अनुसूचित जनजाति, OBC=अन्य पिवर्ग (गैर क्रीमीलेयर)

2. अद्योहस्ताक्षकर्त्ता द्वारा रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

3. उक्त रिक्त पदों में बैकलॉग रिक्त पदों को भी समावेश किया गया है।

विभागीय नियम एवं शर्ते

[1] **वेतनमान रूपये :–** व्याख्याता (पंचायत) के लिये – वेतनमान 5300–150–8300

[2] **पात्रता की शर्ते :–**

(A).1. व्याख्याता (पंचायत) हेतु न्यूनतम अर्हताएं :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड. की उपाधि।

क्र.	विषय	विषय समूह
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी
2	गणित	गणित/एप्लाइड गणित
3	भौतिकी	भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/एप्लाईड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी
4	रसायन	रसायन/बायोकेमेस्ट्री
5	जीव–विज्ञान	वनस्पति शास्त्र/प्राणीशास्त्र/मानव विज्ञान (लाईफसाईन्स)/जैविकी/अनुवांशिकी (जेनेटिक्स)/सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायोलॉजी)/जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नॉलॉजी)/आणविक जीव विज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी)/पादप कार्यिकी (प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर पर प्राणीशास्त्र अथवा वनस्पतिशास्त्र विषय रहा हो।
6	वाणिज्य	एकाउन्टेसी सहित वाणिज्य/कास्ट एकाउटिंग/फाइनेन्सियल एकाउन्टेंसी एक मुख्य विषय हो।

(B) विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पण्डो जनजातियों से संबंधित) के अभ्यर्थियों को व्याख्याता (पंचायत) हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलता :– विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु उन्हे उनकी नियुक्ति दिनांक से 05 वर्ष के भीतर, नियुक्ति हेतु व्यावसायिक अर्हता बी.एड. जैसी भी आवश्यक हो अभिप्राप्त करनी होगी।

2.1 किसी भी प्रकार का फर्जी अथवा असत्य प्रमाण–पत्र/दस्तावेज नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करना गंभीर अपराध है। अतः अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का फर्जी अथवा असत्य प्रमाण–पत्र संलग्न कर असत्य अभिकथन न करें। किसी भी समय चाहे नियुक्ति के पूर्व हो या नियुक्ति के पश्चात आवेदन पत्र गलत अभिकथन/उद्घोषणा करना अथवा जांच में असत्य प्रमाण–पत्र/दस्तावेज पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की दावेदारी/नियुक्ति निरस्त कर आरक्षी केन्द्र में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।

2.2 **व्याख्याता (पंचायत) का चयन/नियुक्ति शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देश के तहत् की जावेगी, जो कि बंधनकारी रहेगा।**

2.3 व्याख्याता (पंचायत) की सीधी भर्ती हेतु पदों का आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/ जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम सन् 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा। महिला एवं भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में उसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थी से पदों को भरा जावेगा।

2.4 विकलांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 40 प्रतिशत एवं उससे ऊपर के अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार लाभ दिया जायेगा तथा कुल आरक्षित पद में 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। जिसमें 02 प्रतिशत नेत्रहीन व्यक्तियों 2 प्रतिशत बधिर व्यक्तियों में से तथा शेष 2 प्रतिशत अन्य स्वरूप की विकलांगता निःशक्तजनों के लिए दिया जायेगा।

2.5 अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों में से 20 प्रतिशत तक पदों की पूर्ति विशेष पिछड़ी जनजाति समूह जैसे पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पण्डो जनजातियो से संबंधित आवेदकों के बीच से की जायेगी तथा ऐसे आवेदको का चयन भर्ती के लिये सु–संगत सेवा नियमों के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना किया जायेगा। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों से पद को भरा जावेगा।

2.6 आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश प्रभावशील होगा।

2.7 कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

2.8 कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

2.9 छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट रहेगी, नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।)

2.10 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.11 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा किसी भी अन्य विभाग के द्वारा अवचार के दोषी/निलंबित/बर्खास्त या ब्लैक लिस्टेड किया हुआ व्यक्ति नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

[3] **आयु सीमा** :– दिनांक 01 जनवरी 2016 को **व्याख्याता (पंचायत) 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष** से अधिक न हो । छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय–समय पर आयु सीमा में प्रदान की गई सभी प्रकार के छूट व्याख्याता (पंचायत) के लिए भी लागू होगी।

शिक्षित बेरोजगारों के हित में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन की सेवा में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों हेतु केवल स्थानीय निवासियों (छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों) हेतु एक बार के लिए 5 वर्ष की छुट प्रदान की जावे। इस प्रकार स्थानीय निवासियों के लिए **एक बार हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी।**

[4] भर्ती का तरीका :–

4.1 छ.ग. पंचायत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के तहत मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती से की जावेगी। प्रमाण–पत्र के आधार पर आवेदकों के वरीयता (मेरिट) का निर्धारण निम्नांनुसार किया जावेगा :–

1- व्याख्याता (पंचायत) हेतु

(अ)	स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर	:– 20 अंक
(ब)	स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर	:– 50 अंक
(स)	बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर	:– 30 अंक

4.2 चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला पंचायत का होगा।

4.3 चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.4 चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।

4.5 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तो के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

4.6 चयनित उम्मीद्वारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी। जिसे कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसके पश्चात भी संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

4.7 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निर्धारित योग्यता पूर्ण होना चाहिए। उसके पश्चात् प्राप्त की गई योग्यता को मान्य नहीं किया जावेगा।

[5] आवेदन पत्र जमा करने का तरीका :–

5.1 आवेदक को **व्याख्याता पंचायत** हेतु आवेदन पत्र जिला पंचायत के द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार कर डाक घर के माध्यम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर को प्रषित किया जावेगा। आवेदन पत्र जिला पंचायत में सीधे प्राप्त नहीं किया जावेगा। **आवेदन पत्र के ऊपर व्याख्याता (पंचायत) लिखना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के ऊपर ही जिस विषय के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।**

5.2 आवेदक को स्वयं का पत्र व्यवहार पता लिखा हुआ एक रजिस्टर्ड लिफाफा एवं एक लिफाफा जिसमें रु. 25 रूपये का डाक टिकट लगा हो, आवेदन के साथ जमा करना होगा।

5.3 आवेदक को आवेदन पत्र जिला पंचायत के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ अभिप्रमाणित फोटोग्राफ, शैक्षणिक योग्यता, निवास, जाति, रोजगार पंजीयन, विकलांगता, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत जशपुर के सूचना पटल एवं एनआईसी जशपुर की वेबसाईट www.jashpur.nic.in पर देखा जा सकेगा।

5.4 आवेदन जमा करते समय समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा तथा पृथक से कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जशपुर (छ0ग0)

पृ.क्रमांक/1012/A /जि.पं./शिक्षा स्था./2016 जशपुर, दिनांक 28/7/2016

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक पंचायत, संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त महोदय, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जशपुर/कुनकुरी/पत्थलगांव/बगीचा को सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला– जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
7. सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास) जिला–जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
8. जिला मिशन समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला– जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
9. जिला रोजगार अधिकारी, रोजगार कार्यालय, जिला– जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, जशपुर जिला– जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
11. उप संचालक, पंचायत जिला– जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
12. सहायक संचालक, जनसंपर्क कार्यालय, जिला– जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
13. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला– जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14 सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जशपुर / मनोरा / दुलदुला / कुनकुरी / फरसाबहार / पत्थलगांव / कांसाबेल / बगीचा, जिला– जशपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15 सर्व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड–जशपुर / मनोरा / दुलदुला / कुनकुरी / फरसाबहार / पत्थलगांव / कांसाबेल / बगीचा,जिला–जशपुर(छ.ग.)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जशपुर (छ0ग0)

व्याख्याता (पंचायत) के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारुप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत जशपुर (छ.ग.)

आवेदक का स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें।

1. पद का नाम (जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है):-..

2. विषय का नाम (जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है):-..

3. आवेदक का पूरा नाम :-..

4. पिता/पति का नाम :-..

6. जाति (अजा/अजजा/अ.पि.व./सामान्य) :- ....

7. लिंग :-..

8. जन्म तिथि :- दिन .... माह.............वर्ष ....

8. 01 जनवरी 2016 को आयु :- वर्ष .... माह............ दिन ....

6. स्थायी निवास का पता :-..

:-..

:-..

7. पत्र व्यवहार का पता :-..

:- ....

:-..

8. राष्ट्रीयता :- ....

9. मूल निवास/जन्म स्थान :- ....

10. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता/अन्य योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में पूर्णांक	परीक्षा में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	हाई स्कूल					
2.	हायर सेकेण्डरी					
3.	स्नातक					
4.	स्नातकोत्तर					
5.	बी.एड.					

11. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक :- ....

12. विकलांगता (हां/नहीं) :- ....

(यदि हॉ तो विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत) :- ....

(जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

13. यदि भूतपूर्व सैनिक हो तो उसका विवरण :—...

14. संलग्न दस्तावेजों की सूची :— ....

1. :— ....

2. :— ....

3. :— ....

4. :— ....

5. :— ....

6. :— ....

7. :— ....

(जिन प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जा रही है उसका भलीभांति मिलान करें एवं संलग्न करें।)

15. मोबाईल नं. (यदि हो तो) ....

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा—पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के सत्य, पूर्ण एवं सही है। एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा किसी भी अन्य विभाग के द्वारा अवचार का दोषी/निलंबित/बर्खास्त/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। मुझे यह स्वीकार है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत/असत्य या अपूर्ण पाई जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जावेगी। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती है। तथा मेरे विरुद्ध में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर

(पूरा नाम व पता)